

**FORM No. III**

**फर्द अहकाम**

( नियम 26 )

तलत उपरखंड अधिकारी मुकाम पीपलू  
गोपाल बनाम शंकर को. किस्म मुकदमा द्वारा  
 नं. 64 सन् 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
<p>10/08/21 पत्रावली प्रशासन गांधी के संघ अधिष्ठाता से नैम्प कोर्ट गाम पंचायत बगइरा मे फेस हुई। तहसीलदार पीपलू से चाही गई तकास्मा रिपोर्ट प्राप्त। उत्तपपत्र प्रहकार उप. हुए। उत्तपपत्र ने तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होने हुए बाद बादी डिडी खिने जाने का निर्देश किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अलापोकन रिया गया। उत्तपपत्र की सहमति के आधार पर बाद बादी डिडी खिना जाता है। तहसीलदार पीपलू को निर्दिष्ट की प्रति जारी है। पत्रावली निर्दिष्ट शमार होकर दफ्तर दायिल हो एवं नियमानुसार नम्बर के कम हो।</p> <p>शिविर प्रभारी          उपखंड अधिकारी          पीपलू (लॉक)</p>	<p>शंकर को.</p> <p>शुभम</p> <p>सुरेन्द्र शर्मा</p> <p>सोनु</p> <p>ओडवरी</p> <p>शंकर मणि</p> <p>समस्त</p> <p>प्रतिवादी</p> <p>पटेल</p> <p>गोपाल</p>